

## फॉर्म का ऑन-लाईन संशोधन हेतु अपलोड किये जाने वाले कागजातों की विवरणी

01. प्रपत्र-2, 3, 4 एवं 5 (आवश्यकतानुसार) पूर्णतः भरा हुआ। प्रपत्र में साझेदारों का हस्ताक्षर राजपत्रित पदाधिकारी/नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित होना आवश्यक है।
02. पुर्नगठित साझेदारी दस्तावेज की निबंधित प्रति/निबंधन कार्यालय द्वारा निर्गत पुर्नगठित साझेदारी दस्तावेज की अभिप्रमाणित प्रति।
03. साझेदारों का पहचान पत्र (आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई.डी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट इत्यादि) की स्वहस्ताक्षरित एवं अभिप्रमाणित प्रति।

नोट:-प्रपत्र-2, 3, 4 एवं 5 (आवश्यकतानुसार) पूर्णतः भरा होना चाहिए एवं साझेदारों का हस्ताक्षर राजपत्रित पदाधिकारी/नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित होना चाहिए।